शोध मंथन Vol. XI No.III July-Sept. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

छात्राओं में महिला अधिनियमों के प्रति जागरूकता

डॉ0 बलराम सिंह
अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग
साहू जैन पी0जी0 कॉलेज, नजीबाबाद
Email: singhbalram6887@gmail.com

सारांश

महिलाएं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। बहुत बड़ी संख्या होने के बाद भी महिलाओं के प्रति हिंसा, उत्पीड़न, शोषण आदि व्यवहार होते रहे है। भारत में समाज सुधारकों ने ऐसी सभी परिपाठियों का विरोध किया और सरकार से उन्हें समाप्त करने का समय–समय पर आग्रह किया। सती प्रथा, बाल विवाह आदि प्रथाओं को अंग्रेजों के शासनकाल में ही समाप्त कर दिया गया। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने महिलाओं के जीवन की गरिमा बनाये रखने के लिये अनेक कानून व अधिनियम बनाये। जिससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए परन्तु अभी भी वे समता का स्तर प्राप्त नही कर पायी। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं से सम्बन्धित प्रावधानों के प्रति महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं में जागरूकता का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः *अधिनियम, सामाजिक सुधार, उत्तराधिकार, दायभाग।*

प्रस्तावना

सामाजिक सुधार की दृष्टि से सामाजिक विधान का बहुत महत्व है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों में स्त्रियों की गिरी हुई दशा, विवाह सम्बन्धी अनेकों निर्योग्यताएं जैसे– बाल विवाह, विधवा–विवाह पर रोक, अन्तर्जातीय विवाह पर रोक, विवाह–विच्छेदन का अधिकार न होना, बहुपत्नी विवाह, दहेज–प्रथा आदि, जाति प्रथा के आधार पर समाज का असमान खण्ड विभाजन और सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, पिछड़े निर्बल और शोषित वर्गों की समस्या, स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों का पिता की सम्पत्ति में अधिकार न होना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय समस्याएं है। इन सबसे बचने के लिए राष्ट्रीय सरकार को क्रियात्मक कदम उठाना ही पड़ता है और उसकी अभिव्यक्ति ही सामाजिक विधान है। स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये अनेक कानून व अधिनियम बनायें गये ताकि महिलाएं सम्मानजनक जीवन जी सकें।

शोध प्ररचना

भारत में महिलाओं से सम्बन्धित अनेक प्रावधान किये गये। इन अधिनियमों की

सहायता से महिलाएं हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव आदि से बचने का प्रयास करती है। इन प्रावधानों के विषय में यह जानने के लिये उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्वति के आधार पर 100 छात्राओं का चयन किया गया। छात्राएं जागरूक है या नहीं, महाविद्यालय परिसर में 100 छात्राओं से साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर तथ्य संकलित किये गये। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन करके प्रतिशत प्रविधि के आधार पर विश्लेषण किया गया।

सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1829

सन् 1829 में 'सती प्रथा अधिनियम' पास किया गया जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी विधवा को सती होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करेगा तो वह दण्डनीय अपराधी होगा। धीरे–धीरे जनमत भी इस नियम के अनुकूल हो गया और यह प्रथा समाप्त हो गयी है। सन् 1987 में सरकार ने इस अधिनियम की विस्तृत समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावी बनाया है।

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856

अंग्रेजी शासन के समय विधवा पुनर्विवाह पर निषेध अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। विधवा पुनर्विवाह के निषेध विशेषकर ऊँची जातियों में हैं और इस सम्बन्ध में विधवाओं की दो विशेष निर्योग्यताएं थीं–

अ– पुनर्विवाह सम्बन्धी निर्योग्यता और

ब– मष्त पति की संपत्ति में अधिकार सम्बन्धी निर्योग्यता

आर्यसमाज के प्रयत्नों से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया और इन दोनों निर्योग्यताओं को सरकार ने दो अधिनियमों के द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया। ये अधिनियम है :– **'हिन्दू–विधवा–पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** और **हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937'**

हिन्दू–विधवा–पुनर्विवाह अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्न हैं :–

1 यदि विवाह के समय किसी स्त्री के पति की मष्त्यु हो चुकी है तो उसका दूसरा विवाह वैध है।

2 इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अवैध नहीं होगी।

3 पुनर्विवाह करने वाली विधवा का अपने पूर्व मृत पति की सम्पत्ति आदि पर अधिकार नहीं होगा।

4 यदि पति के वसीयतनामा या पति के परिवार के सदस्यों के समझौते के अनुसार उसे पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार मिल गया हो, तो वह पुनर्विवाह के बाद भी अपने अधिकारों का उपभोग करती रहेगी।

हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937

इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित है :–

1 दायभाग से नियंत्रित परिवार का यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बारे में तय किए

हुए बिना मर गया हो तो उसकी विधवा स्त्री को लड़को के बराबर हिस्सा मिलेगा।

2 अन्य नियमों से नियन्त्रित परिवार में ऐसी स्थिति में पति की व्यक्तिगत सम्पत्ति में विधवा या विधवाएं अपने जीवित लड़कों के समान भागीदार होंगी।

3 यदि कोई लड़का पिता से पहले मर गया है तो उसकी विधवा को अपने पति के हिस्से का उत्तराधिकार लड़कों व पौत्रों के साथ मिल सकता है।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1872, 1923, 1954, 1978

सन् 1807 में सबसे पहले बाल–विवाह को रोकने के लिए पहला अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए थी। इसके पश्चात् सन् 1891 में दूसरा अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए थी। पर इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप 1929 में पास हुआ। इसी को **'बाल–विवाह अवरोधक अधिनियम'** या संक्षेप में **'शारदा एक्ट'** कहते हैं। यह कानून 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया।

इस अधिनियम के अनुसार–

1 बाल–विवाह को रोकने का प्रयत्न किया जाएगा परन्तु विवाह हो जाने पर कोई विवाह अवैध नहीं होगा।

2 अदालत को पूर्व सूचना मिल जाने पर वह उस विवाह को रोकने का आदेश दे सकती है।

3 अदालत द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने वाले को तीन महीने का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों होगा।

4 इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए स्त्रियों को जेल नहीं भेजा जाएगा।

बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1978 (संशोधित) विवाह की न्यूनतम आयु स्त्रियों के लिए 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष व पुरूषों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए **बाल–विवाह अधिनियम, 1929, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955** में संशोधित करता है। संशोधन को 1 अक्टूबर 1978 से प्रभावी किया गया है।

विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, 1954

सन् 1872 के 'विशेष विवाह अधिनियम' के द्वारा विवाह के धार्मिक प्रतिबन्धों को दूर करके उन सब लोगों को आपस में विवाह करने का अधिकार दे दिया गया जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सन् 1923 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें दूर हो गयी।

सन् 1954 के 'विशेष विवाह अधिनियम' के द्वारा सन् 1872 का कानून रद्द कर दिया

गया। इस कानून का उद्देश्य हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विवाह की व्यवस्था करना है।

हिन्दू विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम 1955, 1976

यह अधिनियम 18 मई 1955 से जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा विवाह सम्बन्धी सभी हिन्दू विधान रद्द हो गए हैं। 'हिन्दुओं' में हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्व, जैन और सिक्ख भी सम्मिलित हैं।

विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को संशोधित कर कन्या को यह अधिकार दिया गया है कि वह बालिग होने से पहले, बचपन में की गयी अपनी शादी को रद्द कर दे, चाहे वह शादी पूर्ण हुई हो या नहीं। निर्दयता व परित्याग को भी विवाह–विच्छेद का कारण माना गया है और आपसी सहमति से भी विवाह–विच्छेद लिया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिन्दू स्त्रियों के साम्पत्तिक अधिकार के सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस अधिनियम की चार प्रमुख विशेषताएं निम्न है :–

(क) उत्तराधिकार से सम्बन्धित दायभाग व मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर दिया गया है। और समस्त हिन्दुओं के लिए एक सा कानून हो गया है।

(ख) हिन्दू स्त्री की सीमित सम्पत्ति को समाप्त करके उसे सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है।

(ग) स्त्री तथा पुरूषों में उत्तराधिकार सम्बन्धी कोई भेद नहीं होगा।

(घ) स्त्री को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है।

दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961, 1984, 1986

इस कानून का उल्लंघन करते हुए जो भी कुछ दहेज दिया जाएगा व सभी पत्नी की सम्पत्ति होगी और पत्नी को या उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। यह विधेयक 1 जुलाई सन् 1961 से लागू हो गया है।

केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम में समय–समय पर पर्याप्त संशोधन भी किए हैं। **दहेज प्रतिबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 1984** जो कि 2 अक्टूबर 1985 से लागू किया गया, के अनुसार दहेज लेने या देने के अपराध के लिए सजा 2 वर्ष तथा जुर्माने की राशि दस हजार रूपये कर दी गयी है। इस कानून को **'दहेज प्रतिबन्ध (संशोधन) अधियिम, 1986'** के द्वारा पुनः संशोधित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा दहेज सम्बन्धी अपराध के लिए सजा की अवधि पांच वर्ष और जुर्माने की राशि को पन्द्रह हजार रूपये कर दिया गया है।

इस कानून के द्वारा दहेज सम्बन्धी अपराध को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। इस कानून के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार 'दहेज मृत्यु' या हत्या को एक नए अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित किया गया है। इस अपराध के लिए सात

वर्ष से लेकर आजन्म कारावास की सजा का प्रावधान किया गया हे।

इसके अतिरिक्त **हिन्दू दत्तक एवं पालन पोषण अधिनियम 1956** के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को सहयोगी और पालनकर्ता के अधिकार प्राप्त हुए। इसके अनुसार प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की अविवाहित लड़की किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है।

समान पारिश्रामिक अधिनियम, 1976 और 1987 ने समान कार्य के लिए समान भुगतान निर्धारित किया और कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के लिंगाधारित भेद को समाप्त करना निर्धारित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर भारत सरकार को पुराने नियमों में संशोधन और नये अधिनियम बनाने की सलाह देता है। महिला आयोग महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव का विरोध करता है। आयोग महिलाओं के सम्मान व गरिमामय जीवन को स्थापित कराने का प्रयास करता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005

महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में पुरूषों के बराबर का अधिकार प्रदान करता है। अब बेटियां विवाह के बाद भी पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा ले सकती हैं।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

भारत की संसद द्वारा पारित यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हो गया। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरें में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते है। किसी भी घरेलू सम्बन्ध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिसमें महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को क्षति पहुंचती है, घरेलू हिंसा है। अर्थात शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक और मौखिक या भावनात्मक हिंसा सभी इस अधिनियम में आच्छादित है।

सरकारी प्रावधानों के प्रति उत्तरदाताओं में जागरूकता का स्तर

	स्पष्ट जानकारी		अस्पष्ट जानकारी		जानकारी नहीं		योग	
उत्तरदाता	संख्या	प्रति0	संख्या	प्रति0	संख्या	प्रति0	संख्या	प्रति0
B.A. I	7/30	23.3	15/30	50.0	8/30	26.6	30	100%
B.A. II	6/25	24.0	10/25	40.0	9/25	36.0	25	100%
B.A. III	7/25	28.0	11/25	44.0	7/25	28.0	25	100%
M.A. I	3/12	25.0	6/12	50.0	3/12	25.0	12	100%
M.A. II	4/8	50.0	0/8	0.0	4/8	50.0	8	100%
योग संख्या प्रतिशत	**27/100**	**27**	**42/100**	**42**	**31/100**	**31**	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है कि महिलाओं के

सहयोग हेतु किये सरकारी प्रावधानों के बारे में 27 प्रतिशत छात्राएं स्पष्ट जानकारी रखती है और 42 प्रतिशत को अस्पष्ट जानकारी है अर्थात 69 प्रतिशत लगभग 2/3 से अधिक छात्राओं को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के विषय में जागरूकता है। 31 प्रतिशत छात्राएं जानकारी नहीं रखती। एम.ए. उत्तरार्द्ध की आधी छात्राएं और अन्य कक्षाओं की ए क चौथाई छात्राएं विवाह की आयु, हिंसा, दहेज आदि से सम्बन्धित अधिनियमों की स्स्पष्ट जानकारी रखती है। लगभग सभी कक्षाओं की छात्राओं को सरकारी प्रयासों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उनका अपने आसपास के सामाजिक परिवेश से सकारात्मक जुड़ाव है वे समाज कल्याण के कार्यों में रूचि रखती है।

निष्कर्ष

स्नातक व परास्नातक कला संकाय की छात्राओं से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के आधार पर दृष्टिगोचर होता है कि उच्च शिक्षा छात्राओं की जागरूकता में वृद्धि करती है। हालांकि शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते है जिसके लिये वृहत शोध की आवश्यकता है। उक्त निष्कर्ष कोई साधारणीकरण तो नहीं है फिर आगे के शोध के लिए प्रेरित करता है।

References

1 Altekar, A.S. ; (1977), *"The Position of Women In Hindu Civilization"* Gyan Prakashan, Delhi.

2 Ackoff ; (1953) *The Design of Social Research,* University of Chicago Press.

3 Chaturvedi, Geeta, (1985) *"Women Administrator In India"*, R.B.S.A. Prakashan, Jaipur

4 Internet : ncw.nic.in

5 Pillai, Jaya Kathai; (1995) *"Women And Empowerment*", Gyan Prakashan, Delhi.

6 William, Chofo ; (1977) *"Women And Equality" O*xford University Press.